प्रेषक,

राजन शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक /सचिव,
उ०प्र० स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद्,
लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 29 नवम्बर, 2018

विषय: निदेशक/सचिव, उ०प्र० स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद्, लखनऊ के उपयोगार्थ मोटर गाड़ी का क्रय किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5104/छ:-स्व०से०/2018, दिनांक 16-11-2018, शासनादेश संख्या-17/2018/1452जेड/6-सा-3-2018-24(विविध)/2018टीसी, दिनांक 07-08-2018, शासनादेश संख्या-24/2018/ 1452 जेड/6-सा-3-2018-24(विविध)/2018, दिनांक 12-11-2018 एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु धनराशि की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-9/2018/858जेड/6-सा-3-2018-50जी/17टीसी, दिनांक 01-04-2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक/सचिव, उ०प्र० स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद्, लखनऊ के उपयोगार्थ मोटर गाड़ी का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित कुल धनराशि **रू० 8,00,000 (रू० आठ लाख मात्र)** में से उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 07-08-2018 एवं शासनादेश दिनांक 12-11-2018 द्वारा क्रमश: स्वीकृत **रू० 6,40,156.51 एवं रू० 16,197.27** अर्थात वर्तमान में वाहन की कीमत रू० **6,56,353.78 (छ: लाख छप्पन हजार तीन सौ तिरपन रू० अठहत्तर पैसे मात्र)** के अलावा जेम पोर्टल से प्राप्त अनुबन्ध के विशेष नियम एवं अन्य शर्तो तथा वाहन विक्रेता कम्पनी मारूति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड इण्डिया द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रो-फार्मा इनवाईस के आधार पर लखनऊ तक का ट्रान्सपोर्टेशन चार्ज (करों सहित) लगभग **7,218.10 (रू० सात हजार दो सौ अठ्ठारह रू० दस पैसे मात्र)** की अतिरिक्त धनराशि वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय का अधिकार नही हो जाता, जहॉ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

3- उक्त धनराशि से सम्बन्धित व्यय का स्पष्ट उल्लेख करते हुये पूर्ण व्यय-विवरण शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः-2

Shasadesh.up.nic.in

4- वाहन का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेश के अनुसार गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस **(GEM)** के माध्यम से किया जायेगा।

5- धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त वाहन के ट्रान्सपोर्टेशन हेतु पूर्व में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब वाहन की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

6- क्रय किये जाने वाले वाहन की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में पूर्णत: संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे वाहन की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

7- वाहन क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य वाहन का क्रय न किया जाय।

8- उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत प्रयोजन हेतु स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

9- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31-03-2019 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10- उक्त वाहन का क्रय शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों में निहित वित्तीय नियमो/निर्देशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

11- क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

12- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक "2251-सचिवालय सामाजिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1696/दस-2018 दिनांक 28-11-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(राजन शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

क्रमश:-**3**

shasnadesh.up.nic.in

संख्या-26 **/2018/1935जेड/6-सा-3-2018**,**तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट/प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।

7- आहरण एवं वितरण अधिकारी।

8- राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1/2/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन।

9- गार्डबुक।

आज्ञा से

(सूर्य कुमार)
उप सचिव।

shasnadesh.up.nic.in